कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1150 / 12-1 चम्पावत, दिनांक 4-9- 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगॉव कलियाधूरा (छिड़ाकान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720हे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/145468/2021)**

संदर्भः– अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत की पत्र संख्या 2547/2सी0 दिनांक 22.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभिंयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत द्वारा भारत सरकार की पत्र संख्या 8B/UCP/06/09/2023/ FC/508 दिनांक 14.07.2023 से प्रस्तुत 4 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है–

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति	आपत्ति निराकरण
1	The cost benefit analaysis is required to be provided in the new prescribed format	प्रस्तावक विभाग द्वारा लागत लाभ प्रमाण पत्र नये प्रारूप में भर कर ऑनलाइन करते हुए 5 प्रतियों में हार्ड प्रति संलग्न कर दी गई है।
2	The tree enumeration is requested to be corrected in online part II.	वृक्षों की संशोधित सूचना पार्ट–2 में भर दी गई है।
3	The State Govt. is requested to comment anb revise the proposal in view of point no 2 of this office EDS olated 09.02.2023 vide which it was conveyed that contruction of road beyond point 24 of the geo-referenced digital map does not seems appropriate becars all pooposep appears to be conneteed up to this point of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शा0सं0–764/III(2)/08–65 (प्रा0आ0) दिनांक 24.03.2008 द्वारा बिंनवाल गॉव–कलियाधूरा (छिड़ाखान) नाम से स्वीकृति 16.500 किमी0 की प्राप्त हुयी थी, जो कि 16.500 किमी0 के अन्तिम बिन्दु में सिविल व नाप भूमि थी जिसमें वर्तमान में वृक्ष होने के कारण दिनांक 23.09. 2020 को आर0ई0सी0 की बैठक में के0एम0एल0 का परीक्षण करने पश्चात मार्ग की लम्बाई कम करतें हुए बिंनवाल गॉव के तोक छिड़ाखान तक सीमित करने हेतु बैठक में निर्देशित किया गया था। छिड़ाखान के आबादी बिंनवाल गॉव के साथ है, डिजिटल मानचित्र में भी पूर्व के मकान व नाप भूमि अंकित है। बिन्दु संख्या 24 तक मार्ग की लम्बाई सीमित करने पर गोलडॉडा तोक (तोला) जो कि 500 मी0 की लम्बाई में है तथा बिंनवाल गॉव तोक (छीड़ाखान) लम्बाई 1700 मी0 में रहने वाली आबादी मार्ग से वंचित रह जायेगी जो कि प्वाइंट न0 24 तक अन्तिम बिन्दु 15.200 किमी0 में रहने वाली आबादी के आगमन में मार्गतक पहुंचने हेतु 3.200 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पडेगी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 15.200 किमी0 रहने वाली आबादी को कठनाई का सामना करना पड़ेगा, साथ ही मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित रह, जायेगें जिस कारण उक्त क्षेत्र वासियों को पलायन का सामना करना पड़ेगा। अतः उक्त विषय में अनुरोध है कि दिनांक 23.09.2020 को आर0ई0सी0 बैंठक में के0एम0एल0 के परीक्षण तथा डिजिटल मानचित्र

		में पुराने भवन व नाप भूमि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 15.200 किमी0 लम्बाई में आनलाईन किये गये प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें।
4	4-A separate tree enumeration list for the area prposed for muck dumping is also requied to be provided.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित समरेखण के किनारे जहाँ वृक्ष विहीन स्थल 100 से 150 मीटर की लम्बाई तथा लगभग 5 मीटर की चौड़ाई में उपलब्ध है उन्हे मलुवा निस्तारण हेतु चयनित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 1150 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

D/c